सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2022/269 दर्ज तिथिः—22.08.2022

1. ईसा वल्द श्री साईदाद
2. अयूब वलद श्री मुसाखां
3. फेजमोहम्मद वल्द मुसाखां
4. ईस्माईला वल्द उसमान
5. सलीमत पत्नी उसमान
6. सखी वल्द उसमान
7. जानी वल्द उसमान
8. मिहल वल्द उसमान
9. हयात वल्द मुबिन

कौम मुसलमान साकिन शमों की ढाणी पटवार मंडल खुडाला तहसील गुडामालानी
.............प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. साउखां वल्द हालाखां
3. सालकखां वल्द हालाखां
4. वलीखां वल्द हालाखां
5. इमामखां वल्द हालाखां
6. सिदिक वल्द वागांखां
7. आचार खां वल्द अब्दुल खां
8. इदरीश वल्द मीठा
9. नवाब वल्द मीठा
10. करीमा पत्नी मीठा
11. रहमान खां वल्द मेहराब
12. मति पत्नी मेहराब
13. जूसूबखां वल्द ईस्माइल
14. जूमाखां वल्द ईस्माइलखां

विप्रार्थी संख्या 13 व 14 नाबालिग कुदरती वली माता नियामत पत्नी ईस्माइल खां

15. नियामत पत्नी श्री ईस्माइल खां
16. लूकमान खां वल्द जुसब
17. समी पत्नी जुसब
18. हसनी पत्नी नजीर खां

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:44:47 IST
Reason: SelfAttested

ईसा बनाम तहसीलदार गुडामालानी
2022/269
निर्णय दिनांकः—06.03.2024

19. मीरखां वल्द हारूण खां
कौम मुसलमान साकिन शमों की ढाणी खुडाला
20. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुडामालानी
21. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी गुडामालानी
22. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी सडा।

................अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—06.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 13/6.0460 है0, हाल खसरा संख्या 13, 13/1 मौजा शमों की ढाणी पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की बंदोबस्त के समय से पृथक आराजी है।
   - बंदोबस्त के समय खातेदारी आराजी खसरा संख्या 13/193, हाल खसरा संख्या 13/3 व 13/2 मौजा शमों की ढाणी पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुडामालानी अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी अप्रार्थीगण की बंदोबस्त के समय से पृथक आराजी है।
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 13/6.0460 है0, मौजा शमों की ढाणी पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का बिना प्रार्थीगण की सहमति अथवा बिना किसी आदेश के विभाजन की तरमीम अंकित कर हाल खसरा संख्या 13, 13/1 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दी गई।
   - कि हाल राजस्व नक्शे में अप्रार्थीगण के बंदोबस्त के समय खातेदारी आराजी खसरा संख्या 13/193, हाल खसरा संख्या 13/3 व 13/2 की तरमीम प्रार्थीगण के खसरा संख्या 13 की तरफ सरकाकर गलत रूप से अंकन किये जाने से प्रार्थीगण के रहवास व टांके अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आ गये।
   - कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के उक्त खसरान की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:44:47 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण में अप्रार्थीगण के विधिवत तामिल के पश्चात् भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2321 दिनांक 21.11.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रेषित किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

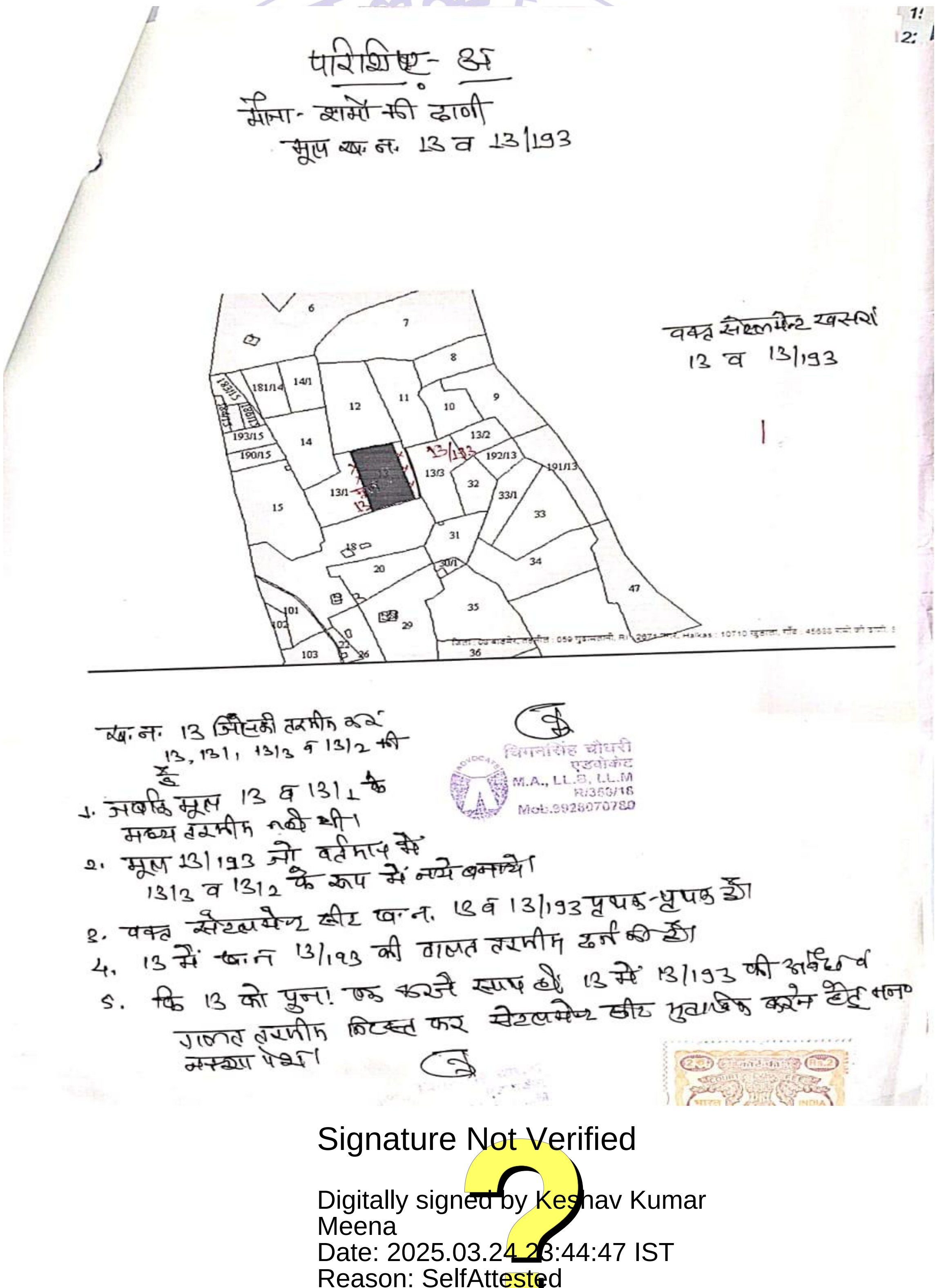

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:44:47 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा मूल राजस्व नक्शे की शीट के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

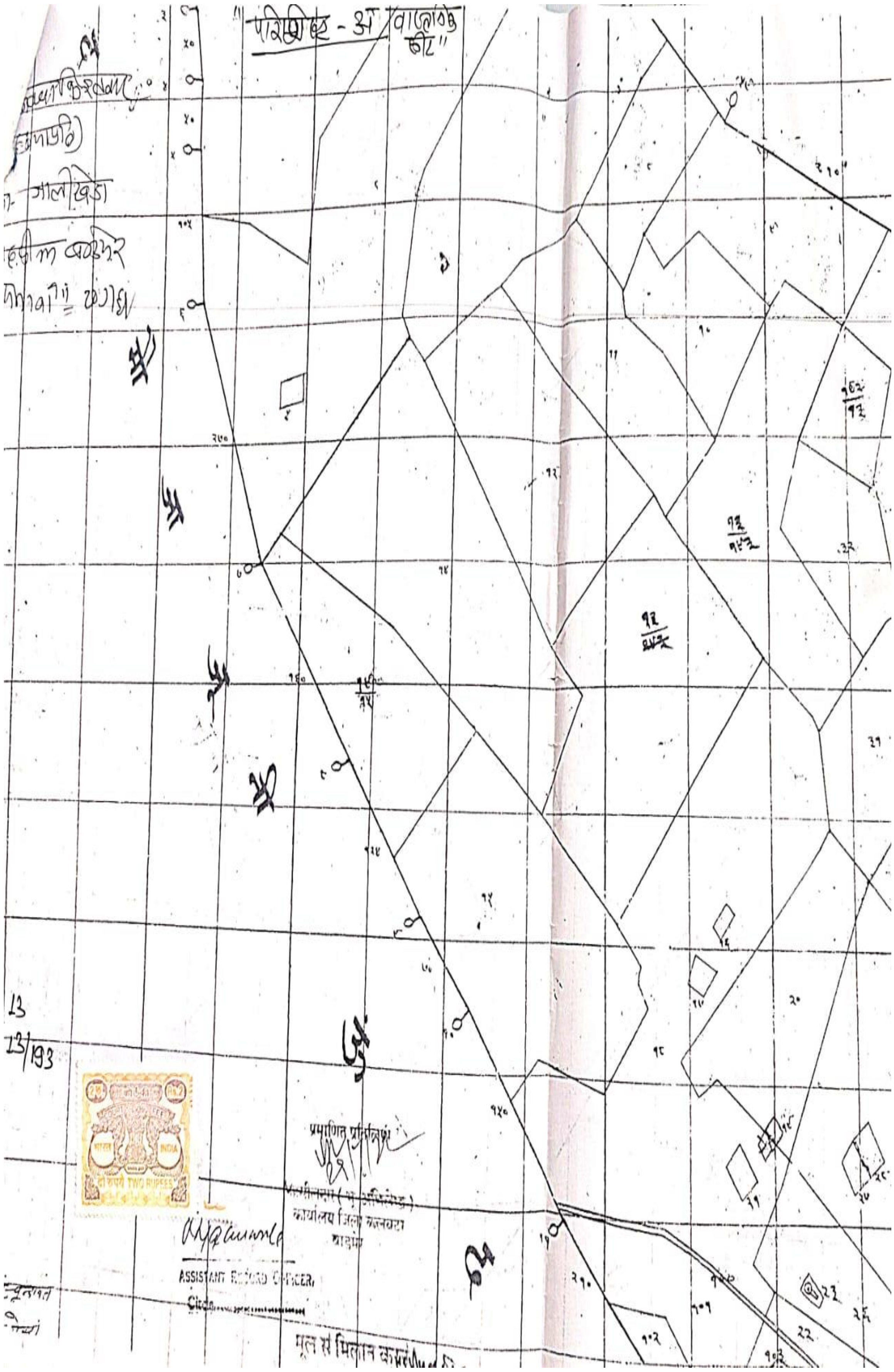

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:44:47 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2321 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. *उक्त आराजी के मूल खसरे से बने हाल खसरों की तरमीम सह—काश्तकारों के मध्य बिना विधिक विभाजन के अनुसार अंकित की गई है।*
   2. *उक्त आराजी खसरा संख्या 13 के मूल खसरे से बने हाल खसरे की तरमीम गलत रकबे व कब्जे के विपरीत अंकित की गई है।*
   3. *उक्त आराजी खसरा संख्या 13 / 193 की तरमीम रकबे अनुसार सही है। खसरा संख्या 13 का रकबा कम करके अंकित नहीं की गई है।*
   4. *उक्त आराजी खसरा संख्या 13 के मूल खसरे से बने हाल खसरों की तरमीम को रकबा बरारी / वास्तविक कब्जा काश्त / परिशिष्ट—अ के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।*
   5. *कि खसरा संख्या 13 व 13 / 1 की तरमीम निरस्त कर मूल खसरा संख्या 13 रकबा 12.1001 है0 बनाया जाना उचित है। खसरा संख्या 13 / 3 (13 / 193) के रकबे अनुसार तरमीम सही होने से यथास्थिति रखना उचित है।*

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2321 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी खसरा संख्या 13 व 13 / 1 के मूल खसरा संख्या 13 से बने हाल खसरा संख्या 13 व 13 / 1 के मध्य की तरमीम सह—काश्तकारों के मध्य बिना विधिक विभाजन के अनुसार अंकित की गई है। इस प्रकार बिना आदेश के की गई तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है। साथ ही प्रकरण में मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त आराजी खसरा संख्या 13 / 193 की तरमीम रकबे अनुसार सही है। खसरा संख्या 13 का रकबा कम करके अंकित नहीं की गई है। अतः खसरा संख्या 13 / 3 (13 / 193) के रकबे अनुसार तरमीम सही होने से यथास्थिति रखना उचित है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2321 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/2321 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 13 व 13/1 मौजा शर्मों की ढाणी के मध्य तरमीम को कलमजन कर खसरा संख्या 13 व 13/1 को मिलाकर एक खसरा संख्या 13 की रकबा बरारी अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने एवं खसरा संख्या 13/3 (13/193) के रकबे अनुसार तरमीम सही होने से यथास्थिति रखने के आदेश दिये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:44:47 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 23:44:47 IST
Reason: SelfAttested